संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर
A.F.R.L.
दि. 29 SEP 2011
उप संचालक

छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
(मंत्रालय)
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक /09/2011

क्रमांक एफ 9–12/2011/त0शि0/42 :– "छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही. के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा, निजी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी (BAMS), निजी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित बैचलर ऑफ होमोयोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS), निजी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित बैचरल ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी (BUMS), तथा निजी योगा एवं नैचुरोपैथी महाविद्यालयों में संचालित बैचलर ऑफ नैचुरोपैथी एण्ड योगा साइंस (BNYS) पाठ्यक्रमों में सत्र 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में प्रवेश हेतु **अंतिम शुल्क** का निर्धारण कर दिया गया है। यह शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है तथा तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता।

BAMS, BHMS, BUMA, BNYS पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित अंतिम शुल्क **परिशिष्ट –1** में संलग्न है।

निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना केपीटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश दिया जाता है :–

1. निर्धारित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क BAMS के लिए रू. 5000, BHMS के लिए 3000, BUMS के लिए रू. 3000, BNYS के लिए रू. 3000, एवं अन्य विविध शुल्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क देय नहीं है। निर्धारित शुल्क पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिये वही रहेगा, जो प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय निर्धारित है।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क पृथक से लिया जा सकता है।
3. कॉशन मनी रू. 1500/– केवल एक बार प्रवेश के समय देय है। कॉशन मनी वापसी योग्य है।
4. उपरोक्त निर्धारित फीस वार्षिक है जो पाठ्यक्रम कुछ पूर्ण वर्ष एवं आधे अथवा एक चौथाई वर्ष की अवधि के है, उनके लिए उतने ही अवधि का फीस लिया जाना है। जैसे यदि कोई पाठ्यक्रम 4½ वर्ष का है तो छात्रों से आनुपातिक 4½ वर्ष का फीस लिया जाना है न कि 5 वर्ष का।
5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं न लाभ न हानि के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
6. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रू. 25/– प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय एवं उच्चतर वर्ष में ही देय है।
7. नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदण्ड/फाईन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकेगी।
8. निर्धारित फीस केवल प्रवेशित छात्रों के लिए है एवं छात्र के अध्ययन जारी रखने तक की अवधि के लिए है। सीट निरस्त कराने पर छात्र के द्वारा जमा किए फीस को संस्थान को जब्त करने अथवा अर्थदण्ड (Paynalty) लेने का अधिकार नहीं है। एक वर्ष की फीस का तात्पर्य है 12 माह की फीस।
9. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात् शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा। इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है।

क्रमशः.........

10. संस्था की फीस निर्धारण करते समय 6वें वेतन आयोग द्वारा घोषित 6वें वेतनमान को भी विचार में लिया गया है। अतः संस्था से यह अपेक्षा है कि शिक्षक एवं अन्य शैक्षणिक अमले को राज्य शासन के सामान्य वेतन/एरियर्स देय होगा।
11. संस्थाओं द्वारा सत्र 2010–11 के लिये पूर्व में ली गई अंतरिम शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क में अंतर की राशि छात्र द्वारा/संस्था द्वारा जैसा भी प्रकरण हो संस्था को/छात्र को वापस देय होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि संस्था द्वारा सत्र 2010–11 में निर्धारित अंतिम शुल्क से अधिक अंतरिम शुल्क लिया गया है उस दशा में शुल्क के अंतर की राशि संस्था द्वारा छात्र को वापस की जावेगी। यदि निर्धारित शुल्क से कम लिया है तो शेष राशि संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त की जा सकेगी।
12. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, चरित्र, आय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (10वीं, 12वीं, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जावेगा। केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है। यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) प्रदान किया जाये।
13. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है।
14. उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

(एन0डी0 कुन्दानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र. एफ 9–12/2011/त0शि0/42 रायपुर, दिनांक 28/09/2011

प्रतिलिपिः–

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, मान0 मंत्री जी, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
4. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, छ0ग0 शासन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग को सादर सूचनार्थ।
6. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
7. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. रजिस्ट्रार, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
9. रजिस्ट्रार, आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
10. समस्त संबंधित निजी महाविद्यालय..को पालनार्थ।
11. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर मीडिया में प्रकाशनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।
12. मास्टर फाइल तकनीकी शिक्षा विभाग।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमशः...........

आदेश कमांक एफ 9-12/11/42 दिनांक ....../....../2011 का परिशिष्ट – एक

सत्र 2010–11, 11–12, एवं 12–13 के लिये BAMS, BHMS, BUMS, एवं BNYS पाठ्यक्रमों हेतु वार्षिक अंतिम शुल्क

S N	Name of Institution	Name of Course	Total Fee (Including Tuition ,Growth & Development Fee and Miscllaneous Other Fees) in Rs.Per Annum
1	Rajiv Lochan Ayurvedic Medical College, Chandkhuri, Durg	BAMS	95700
2	Chhattisgarh Ayurved Medical College, Manki, Rajnandgaon	BAMS	95700
3	Chhadami Lal Choukse Memorial Homeopathi Medical College & Research Centre, Lal Khadan, Bilaspur	BHMS	48700
4	Maharana Pratap Homeopathi Medical College, New Rajendra Nagar, Raipur	BHMS	47700
5	Raipur Homeopathi Medical University & Hospital, Ramkund, Raipur	BHMS	46700
6	Mohsine Millat Unani Medical College & Hospital, Mehboobiya Chowk, Baijnath Para, Raipur	BUMS	49700
7	Shri Mahaveer College of Yoga and Naturopathy, Nagpura, Durg	BNYS	49700

अवर सचिव
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय